Filling No-349/2022 **1**
Criminal Misc. Case No-98/2022

(CNRNo.–UPJB010060152022)

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, जिला अमरोहा

सिविल प्रकीर्ण वाद (टी.ए.) संख्या–98/2022

मोहम्मद राशिद.........बनाम...........नईम अहमद आदि

17.01.2023:–

पत्रावली पेश हुई। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय प्रथम, अमरोहा के विद्वान पीठासीन अधिकारी की आख्या 12ग के अनुसार मूलवाद संख्या–332/2017, मौ० राशिद बनाम नईम अहमद आदि दिनांक 02.11.2021 को खारिज की जा चुकी है और इस मूलवाद की पत्रावली को विविध वाद संख्या–103/2021, मौ० राशिद बनाम नईम अहमद आदि में तलब किया गया है।

यह 3ग स्थानांतरण प्रार्थनापत्र आवेदक मौ० राशिद द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय प्रथम, अमरोहा में विचाराधीन मूलवाद संख्या–332/2017, मौ० राशिद बनाम नईम अहमद आदि एवं उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), अमरोहा में विचाराधीन एक अन्य मूलवाद संख्या–252/2021, जाहिरा खातून बनाम नईम अहमद आदि को एक ही न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु दिया गया है।

इस पर विपक्षी संख्या–2 की ओर से अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है।

3ग स्थानांतरण प्रार्थनापत्र में आवेदक द्वारा जिन दोनों वादों को स्थानांतरित किये जाने की याचना की गयी है , उनमें से एक मूलवाद संख्या–332/2017, मौ० राशिद बनाम नईम अहमद आदि दिनांक 02.11.2021 को खारिज हो चुका है, जैसा किन्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय प्रथम, अमरोहा के विद्वान पीठासीन अधिकारी की आख्या से स्पष्ट है। इस प्रकार उपरोक्त मूलवाद की पत्रावली अभिकथित न्यायालय में लम्बित न होने के कारण स्थानांतरण प्रार्थनापत्र औचित्यहीन एवं निष्फल हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर भी बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आया है। अतः स्थानांतरण प्रार्थनापत्र उपरोक्तानुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

यह सिविल प्रकीर्ण वाद (स्थानांतरण प्रार्थनापत्र) संख्या–98/2022, मोहम्मद राशिद बनाम नईम अहमद आदि तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक–17.01.2023

(संजीव कुमार)
जनपद न्यायाधीश,
अमरोहा।
{JOCODE-UP5466}

Digitally signed by SANJEEV KUMAR
Date: 2023.01.19 14:54:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court